

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में परिवर्तित प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के प्रति अभिभावकों की जागरूकता का अध्ययन

धृति^{1*} & डॉ. नीतू सिंह²

*पी-एच.डी.शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश), भारत

ई-मेल: dhritichaurasia2001@gmail.com

²एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

ई-मेल: neetu_stp@rediffmail.com

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18207283

Accepted on: 31/12/2025 Published on: 10/01/2026

सारांश:

यह शोध पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए संदर्भित है, जो मुख्यतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रति अभिभावकों की जागरूकता को सर्वेक्षण-आधारित विश्लेषण के माध्यम से बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करता है। एनईपी 2020 जो कि 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी, हमारे देश की शैक्षिक प्रणाली में सुधार के लिए एक सम्पूर्ण रूपरेखा प्रदान करती है। माता-पिता की स्वीकृति और समर्थन के साथ-साथ स्कूलों में नीति का कार्यान्वयन दोनों इस नीति की सफलता के लिए आवश्यक हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य अभिभावकों की एनईपी2020 के प्रति जागरूकता व धारणाओं की जांच करके अभिभावक-विद्यालय सहयोग में विकास के लिए नीतिगत लक्ष्यों और संभावित क्षेत्रों के साथ अभिभावकों के दृष्टिकोण के संरेखण में उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।

मूल शब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्राथमिक शिक्षा, जागरूकता, अभिभावक, सर्वेक्षण-आधारित विश्लेषण, समग्र विकास।

प्रस्तावना:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को घोषित किया है। 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति में यह पहला संशोधन है। जिसका लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति

2020 अभिगम्यता, निष्पक्षता, गुणवत्ता, वहनयोग्यता और जवाबदेही के स्तंभों पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की सकल घरेलू उत्पाद के 6% के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में शैक्षणिक संरचना को 5+3+3+4 के रूप में व्यक्त किया गया है जिसके अंतर्गत 3-18 वर्ष की आयु के बालकों को सम्मिलित किया जाएगा। पिछली नीति में 6 वर्ष के बालकों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता था इसमें 3 से 6 वर्ष के बालकों शामिल नहीं किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 से 6 वर्ष के बालकों शामिल करने की एक महत्वाकांक्षी व्यवस्था की गई है। बालकों का लगभग 85 प्रतिशत मानसिक तथा शारीरिक विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है इसलिए यह आवश्यक है कि बालकों को इस आयु में अच्छा पोषण और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। जिससे बालकों के बेहतर भविष्य का एक अच्छा आधार बन सके। अर्ली चाइल्डहुड केयर एण्ड एजुकेशन (ईसीसीई) को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सम्मिलित करना सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ईसीसीई मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी और खेल आधारित बहुस्तरीय व्यवस्था है जिसके अनुसार बालकों में अक्षर ज्ञान, गिनती, चित्रकला, रंग, आकार का प्रारंभिक ज्ञान देने के साथ-साथ बालकों में नैतिकता, शिष्टाचार और सहयोग की भावना जैसे गुणों का विकास करना भी है। वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप शिक्षक केन्द्रित न होकर छात्र केन्द्रित हो रहा है और छात्र विद्यालय के वातावरण के साथ-साथ घर के वातावरण से भी प्रभावित होता है इसलिए एनसीएफ में बालकों के समग्र विकास के लिए माता-पिता या अभिभावकों की जिम्मेदारियों को भी लिखा गया है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन (2023) द्वारा सीखने- सिखाने का जो रोडमैप तैयार किया गया है उसके मुताबिक, बालकों के स्कूल में एडमिशन के समय माता-पिता या अभिभावकों के लिए निर्देशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसके अंतर्गत अभिभावकों को घरों में उनके बालकों की पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल कैसे रखना है और स्कूलों के साथ जुड़कर बालकों के विकास के लिए क्या करना सही है आदि जिम्मेदारियां समझाई जाएगी। साथ ही बालकों से जुड़े उन पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा, जो बालकों के समग्र विकास के लिए जरूरी होते हैं।

बालक अपने दिन के समय का मात्र तीसरा भाग ही विद्यालय में व्यतीत करता है, शेष अधिकतर समय वह घर में ही व्यतीत करता है अर्थात् बालक की शिक्षा माता-पिता व पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करती है। माता-पिता, शिक्षक व बालक की साझेदारी शिक्षा प्रक्रिया को समृद्ध और प्रभावी बनाती है। शिक्षाशास्त्रियों के अनुसार- माता-

पिता अपने बालक के पहले शिक्षक व गृह प्रथम पाठशाला है। अभिभावक का सहयोग बालक की पढ़ाई और विकास को प्रभावित करता है। एक सफल अभिभावक के सहयोग के लिए, अभिभावकों को शिक्षा व्यवस्था के प्रति जागरूक और शिक्षकों के साथ निरंतर सम्पर्क में रहना आवश्यक होता है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन:

मारुथावनन (2020) “ए स्टडी ऑन द अवेयरनेस ऑफ एनईपी 2019 अमंग द सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन मदुरै डिस्ट्रिक्ट” पर अध्ययन करते हैं। इस शोध का मुख्य उद्देश्य लिंग-भेद और स्थानीयता के आधार पर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के बारे में जागरूकता की जांच करना था। डेटा विश्लेषण के बाद, शोधकर्ताओं ने पाया कि एनईपी-2019 के बारे में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता औसत से कम है। पुरुष शिक्षक महिला शिक्षकों की तुलना में अधिक जागरूक हैं। शहरी शिक्षकों में जागरूकता ग्रामीण से अधिक है। सरस्वती और नागवल्ली (2020) “अवेयरनेस ऑफ टीचर्स एण्ड कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन एनईपी 2020” पर अध्ययन करते हैं। उनके शोध का मुख्य उद्देश्य लिंग के आधार पर एनईपी 2020 के प्रति शिक्षकों और कॉलेज के छात्रों की जागरूकता जानना था। अध्ययन में प्रतिशत और टी परीक्षण का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि पुरुष प्रतिभागियों ने महिला प्रतिभागियों की तुलना में औसत पर अधिक अंक प्राप्त किए। एनईपी 2020 के बारे में कॉलेज के छात्रों के बीच जागरूकता का स्तर स्कूली छात्रों से अधिक है। कुमार (2021) “एनईपी 2020: ए रोडमैप फॉर इण्डिया 2.0” पर अध्ययन करते हुये यह पाया कि एनईपी 2020 का एक मुख्य उद्देश्य 2030 तक सभी शैक्षणिक संस्थानों जैसे प्राथमिक विद्यालय, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा में छात्रों के नामांकन को बढ़ाना है। इसे प्राप्त करने के हेतु से मौजूदा शिक्षा और शासन प्रणालियों में प्रगतिशील सुधार का सुझाव दिया है। यह अध्ययन नीति दस्तावेज़ की प्रारंभिक समीक्षा है और इसे इसके कार्यान्वयन के बाद एनईपी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अनुभवजन्य डेटा के साथ भविष्य के अनुसंधान के लिए आधार के रूप में लिया जा सकता है। सक्सेना (2020) “ए ग्लिम्पस ऑफ एनईपी 2020” पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 भारत में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार है, इस नीति का उद्देश्य 2030 तक भारतीय शैक्षणिक प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। इसलिए, इसके संदर्भ में भारतीय शैक्षणिक प्रणाली के सभी पहलुओं की जांच करना महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन पत्र का उद्देश्य नीति के तहत संरक्षित स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए

स्पष्टीकरण देना है। भारतीय शैक्षणिक क्षेत्र के प्रत्यर्पण के लिए एनईपी 2020 के कई पहलुओं की व्यापक समझ विकसित करना। एनईपी 2020 के अनुरूप, भारत को वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज के रूप में उभरना है।

अध्ययन की आवश्यकता:

समस्या के अध्ययन की आवश्यकता के संदर्भ में कह सकते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा प्रथम प्राथमिकता की वस्तु है। यह पहली सीढ़ी है, जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंच सकता है। राष्ट्रीय जीवन के साथ जितना घनिष्ठ सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा है, उतना माध्यमिक या उच्च शिक्षा का नहीं है। इसका सम्बन्ध किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग से न होकर, देश की पूरी जनसंख्या से होता है। एक अभिभावक वह माध्यम है जो अपने बालकों को सही व उपयुक्त शिक्षा प्रदान कर उसके विकास के रास्ते खोलता है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि अभिभावक अपने बालकों की शिक्षा व्यवस्था के प्रति जागरूक हों ताकि सबको समान शैक्षिक अवसर प्राप्त हो सके। अतः इस अध्ययन की सहायता से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था में किए गए परिवर्तनों के प्रति अभिभावकों की जागरूकता के स्तर को जान पाएंगे।

अध्ययन के उद्देश्य:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा में हुए परिवर्तनों के प्रति अभिभावकों की जागरूकता का अध्ययन करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में परिवर्तित प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के प्रति महिला व पुरुष अभिभावकों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में परिवर्तित प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के प्रति ग्रामीण व शहरी अभिभावकों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में परिवर्तित प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के प्रति महिला व पुरुष अभिभावकों की जागरूकता में कोई अंतर नहीं होगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में परिवर्तित प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के प्रति ग्रामीण व शहरी अभिभावकों की जागरूकता में कोई अंतर नहीं होगा।

परिसीमन:

- प्रस्तुत शोध कार्य एनईपी 2020 के अंतर्गत केवल प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में हुए परिवर्तनों के प्रति अभिभावकों की जागरूकता तक सीमित है।
- प्रस्तुत शोध कार्य केवल लखनऊ जिले तक ही सीमित है।
- प्रस्तुत शोध कार्य प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित है।
- प्रस्तुत शोध कार्य केवल 100 अभिभावकों तक ही सीमित है।

अध्ययन विधि:

प्रस्तुत शोध अध्ययन वर्णनात्मक प्रकार का है। अतः शोध में सर्वेक्षण अनुसंधान विधि जो की वर्णनात्मक अनुसंधान का एक सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है, का प्रयोग किया गया है।

समष्टि (जनसंख्या) व प्रतिदर्श:

प्रस्तुत लघु शोध कार्य में जनसंख्या/समष्टि के रूप में प्राथमिक शिक्षा स्तर के समस्त छात्रों अभिभावक है। प्रस्तुत अध्ययन कार्य हेतु शोधार्थी द्वारा प्रतिदर्श में लखनऊ जिले के प्राथमिक शिक्षा स्तर के छात्रों के अभिभावकों को लिया गया है। प्रतिदर्श में केवल 100 अभिभावकों को शामिल किया गया है। समय की सीमितता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत लघु शोध कार्य में प्रतिदर्श (अभिभावकों) का प्रतिचयन उद्देश्यपरक प्रतिचयन विधि के द्वारा किया गया है।

शोध उपकरण:

अध्ययन में उपकरण के रूप में, वर्तमान शोध उद्देश्यों के आधार पर, डेटा संग्रह के लिए स्व-निर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया।

प्रदत्तों का विश्लेषण, परिणाम एवं व्याख्या:


प्रस्तुत लघु शोध कार्य में उद्देश्यों के आधार पर जागरूकता स्तर के अध्ययन के लिए प्रतिशत विधि का उपयोग किया गया है। साथ ही प्रस्तुत लघु शोध कार्य में आँकड़ों के विश्लेषण के लिए मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा टी मान का प्रयोग किया।

प्रथम उद्देश्य: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में प्राथमिक शिक्षा में हुए परिवर्तनों के प्रति अभिभावकों की जागरूकता का अध्ययन करना।

तालिका-1: एनईपी-2020 के प्रति अभिभावकों की जागरूकता

क्रम सं.	अंकों की सीमा	संख्या	प्रतिशत	एनईपी-2020 के प्रति अभिभावकों की जागरूकता
1.	(21-30)	27	27%	उच्च
2.	(11-20)	54	54%	सामान्य
3.	(0-10)	19	19%	निम्न
कुल		100	100%	

ग्राफ सं.1: एनईपी-2020 के प्रति अभिभावकों की जागरूकता का ग्राफीय निरूपण




शोध के द्वारा प्राप्त परिणाम में यह पाया गया कि कुल 100 अभिभावकों में से 19 अभिभावकों ने 0 – 10 के मध्य अंक प्राप्त किये है, जिनका प्रतिशत 19 है। अतः कुल 100 अभिभावकों में से 19 अभिभावकों में जागरूकता का स्तर निम्न पाया गया है। इसी प्रकार 54 अभिभावकों ने 11 – 20 के मध्य अंक प्राप्त किये जिनका प्रतिशत 54 है। इस प्रकार 54 अभिभावक प्रारम्भिक शिक्षा में हुए परिवर्तनों के प्रति सामान्य रूप से जागरूक है तथा 27 अभिभावकों ने 21 – 30 के मध्य अंक प्राप्त किये जिनका प्रतिशत 27 है। अतः 100 अभिभावकों में से कुल 27 अभिभावकों में जागरूकता का स्तर उच्च है। आकड़ों का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि सामान्य जागरूकता श्रेणी में अभिभावकों की संख्या अधिक है जो कि 54 है जबकि उच्च व निम्न जागरूकता श्रेणी के अभिभावकों की संख्या क्रमशः 27 व 19 है। जिससे यह निष्कर्ष निकला कि अधिकतर अभिभावक प्रारम्भिक शिक्षा में हुए परिवर्तनों के प्रति सामान्य रूप से जागरूक है।

द्वितीय उद्देश्य: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में परिवर्तित प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के प्रति महिला व पुरुष अभिभावकों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

तालिका सं. 3: एनईपी-2020 के प्रति महिला तथा पुरुष अभिभावकों की जागरूकता

क्रम सं.	अंकों की सीमा	जागरूकता स्तर	संख्या		प्रतिशत	
			महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
1.	(21-30)	उच्च जागरूकता	11	16	22%	32%
2.	(11-20)	सामान्य जागरूकता	28	26	56%	52%
3.	(0-10)	निम्न जागरूकता	11	08	22%	16%
कुल			50	50	100%	100%

ग्राफ सं. 2: एनईपी-2020 के प्रति महिला तथा पुरुष अभिभावकों की जागरूकता का तुलनात्मक ग्राफीय निरूपण



उपरोक्त तालिका सं. 3 व ग्राफ सं. 2 द्वारा आकड़ों का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि सामान्य जागरूकता श्रेणी में महिला व पुरुष अभिभावकों की संख्या अधिक है जो कि क्रमशः 28 व 26 है जबकि उच्च जागरूकता श्रेणी में महिला व पुरुष अभिभावकों की संख्या क्रमशः 11 व 16 है तथा निम्न जागरूकता श्रेणी में महिला व पुरुष अभिभावकों की संख्या क्रमशः 11 व 08 है।

तालिका सं. 4

क्रम सं.	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t- (परिकलित मान)	t- (सारणी मान)	सार्थकता का स्तर	स्वातंत्र्य कोटि (df)
1.	महिला	50	18.9	5.12	0.96	1.98	0.05	98
2.	पुरुष	50	20.8	4.38				
		100						


परिकल्पना सत्यापन के अंतर्गत प्राप्त सांख्यिकीय विश्लेषण में पाया गया कि जनपद लखनऊ के पुरुष तथा महिला अभिभावकों के जागरूकता के प्राप्त मान का मध्यमान क्रमशः 20.8 तथा 18.9 है तथा मानक विचलन क्रमशः 4.38 तथा 5.12 है। टी-अनुपात का मान 0.96 प्राप्त हुआ है जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर दिए गए सारणी मान 1.98 से कम है जिसके आधार पर शून्य परिकल्पना अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि लिंग भेद का अभिभावकों की जागरूकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

तृतीय उद्देश्य: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में परिवर्तित प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के प्रति ग्रामीण व शहरी अभिभावकों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

तालिका सं. 5: एनईपी-2020 के प्रति ग्रामीण तथा शहरी अभिभावकों की जागरूकता

क्रम सं.	अंकों की सीमा	जागरूकता स्तर	संख्या		प्रतिशत	
			ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1.	21-30	उच्च जागरूकता	06	19	12%	38%
2.	11-20	सामान्य जागरूकता	29	27	58%	54%
3.	0-10	निम्न जागरूकता	15	04	30%	08%
			50	50	100%	100%

ग्राफ सं. 3: एनईपी-2020 के प्रति ग्रामीण तथा शहरी अभिभावकों की जागरूकता का तुलनात्मक ग्राफीय निरूपण



उपरोक्त तालिका सं. 5 व ग्राफ सं. 3 द्वारा आकड़ों का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि सामान्य जागरूकता श्रेणी में ग्रामीण व शहरी अभिभावकों की संख्या अधिक है जो कि क्रमशः 29 व 27 है जबकि उच्च जागरूकता श्रेणी में ग्रामीण व शहरी अभिभावकों की संख्या क्रमशः 06 व 19 है तथा निम्न जागरूकता श्रेणी में ग्रामीण व शहरी अभिभावकों की संख्या क्रमशः 15 व 04 है।

तालिका सं. 6

क्रम सं.	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t- (परिकलित मान)	t- (सारणी मान)	सार्थकता का स्तर	स्वातंत्र्य कोटि(df)
1.	ग्रामीण	50	20.22	6.78	2.67	1.98	0.05	98
2.	शहरी	50	23.48	5.39				
		100						

परिकल्पना सत्यापन के अंतर्गत प्राप्त सांख्यिकीय विश्लेषण में पाया गया कि जनपद लखनऊ के शहरी तथा ग्रामीण अभिभावकों के जागरूकता के प्राप्त मान का मध्यमान क्रमशः 23.48 तथा 20.22 है तथा मानक विचलन क्रमशः 5.39 तथा 6.78 है। टी-अनुपात का मान 2.67 प्राप्त हुआ है जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर दिए गए सारणी मान 1.98 से अधिक है जिसके आधार पर शून्य परिकल्पना स्वीकार नहीं की जाती है और कहा जा सकता है कि स्थानीयता भेद का अभिभावकों की जागरूकता पर प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण तथा शहरी अभिभावकों की

जागरूकता में अन्तर का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रीय अभिभावकों की शिक्षा व्यवस्था के प्रति अज्ञानता व उदासीन दृष्टिकोण हो सकता है। हमारे देश में अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या शिक्षा के प्रति उदासीन दृष्टिकोण के कारण शिक्षा के महत्व तथा शिक्षा से जुड़ी नीतियों व कार्यक्रमों अनभिज्ञ रहते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मध्यमानों के मध्य अन्तर संयोगवश ना होकर वास्तविक हैं।

निष्कर्ष:

प्रस्तुत शोध कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में परिवर्तित प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के प्रति अभिभावकों की जागरूकता से सम्बन्धित है। जागरूकता का अध्ययन अभिभावकों के जनसांख्यिकीय कारकों (लिंग व स्थानीयता) के आधार पर किया गया है। बालक की शिक्षा में माता-पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वे अपने बालकों को समय-समय पर उचित सलाह देते हैं, शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की मुश्किलों को दूर करने में मदद करते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बालक के जीवन के शुरुआती वर्षों में माता-पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और अपूरणीय होती है। उदाहरणस्वरूप, अपनी माता व घर के प्रभाव के कारण ही गाँधी जी ने प्रेम और सत्य के सिद्धांत को अपनाया। माता-पिता सिर्फ सुविधाकर्ता ही नहीं होते बल्कि अपने बालक की शिक्षा यात्रा में सक्रिय भागीदार भी होते हैं। माता-पिता ही मुख्य रूप से अपने बालक की शिक्षा, चरित्र विकास और सकारात्मक छात्र गुणों के विकास को आकार देते हैं। विद्यालय में शिक्षक द्वारा बालकों का मार्गदर्शन किया जाता है परन्तु उस प्राप्त ज्ञान को अपनी दिनचर्या में उतारने का प्रयास वे माता पिता की निगरानी में ही करते हैं। पुस्तकों के अपार भंडार के द्वारा बालक सैद्धांतिक ज्ञान को तो प्राप्त कर सकता है लेकिन उस ज्ञान का जीवन में सही और गलत उपयोग माता-पिता के द्वारा ही सिखाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रति अभिभावकों को जागरूक बनाने हेतु अभिभावकों की जागरूकता, दृष्टिकोण में आवश्यक सुधार एवं परिवर्तन लाने हेतु आवश्यक कार्यक्रमों के संचालन की आवश्यकता है। जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए प्रावधानों को सफल बनाने में सफलता मिले तथा अभिभावक अपने कर्तव्यों को समझे और भविष्य में नीति के विकास में योगदान प्रदान करें।

संदर्भ:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
- नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/infocus_slider/NCF-School-Education-Pre-Draft.pdf
- सिंह, ए. के. (2015). मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में अनुसंधान विधियां, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन.
- सक्सेना, ए. (2020). ए ग्लिम्पस ऑफ एनईपी 2020. मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 2 (1).
- मारुथावनन, एम. (2020). ए स्टडी ऑन द अवेयरनेस ऑफ एनईपी 2019 अमंग द सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन मदुरै डिस्ट्रिक्ट. शानलैक्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन, 8(3), 67-71.
- सरस्वती, एंड नागवल्ली (2020). अवेयरनेस ऑफ टीचर्स एण्ड कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसि 2020. सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क.
- कुमार, ए. (2021). नेशनल एजुकेशन पॉलिसि एनईपी 2020: ए रोडमैप फॉर इण्डिया 2.0. एडवान्सेस इन ग्लोबल एजुकेशन एंड रिसर्च, 4,1-8.
- श्रीवास्तव, ए. (2021). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन, अप्रकाशित लघु शोधप्रबंध, लखनऊ विश्वविद्यालय।
- यादव, बी. (2019). प्राथमिक शिक्षा अधिकारों के प्रति आर्थिक वंचित अभिभावकों की शैक्षिक जागरूकता- एक अध्ययन, अप्रकाशित लघु शोधप्रबंध, लखनऊ विश्वविद्यालय।